



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 भाद्र 1942 (श०)  
(सं० पटना 544) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2020

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2020

एस० ओ० 162 दिनांक 9 सितम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 129, दिनांक 09 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से नवंबर, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम की धारा 171 के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा नवंबर, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी।”।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-8)1625)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

**9 सितम्बर 2020**

एस० ओ० 162 दिनांक 9 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-8)1625)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 9th September 2020***

S.O. 162, Dated 9th September 2020— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 129, dated the 09th June, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 348, dated the 09th June, 2020, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority, has been specified in, or prescribed or notified under section 171 of the said Act, which falls during the period from the 20<sup>th</sup> day of March, 2020 to the 29<sup>th</sup> day of November, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30<sup>th</sup> day of November, 2020.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)1625]

By the order of Governor of Bihar,  
Dr. Pratima,  
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 544-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>